कार्यालय नगर पालिका परिषद अमरोहा, जनपद–अमरोहा

नगर की जनता को सूचना

- पुलिस प्रशासन अमरोहा नगर व नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा नगर की जनता को सूचित किया जाता है कि समस्त दुकानदार अपनी दुकान प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलेगें। रात्रि 11 बजे तक अपनी दुकान प्रत्येक दशा में बन्द कर दें। रात्रि 11 बजे के उपरान्त कोई भी दुकान खुली हुई पायी जाने पर सम्बन्धित दुकानदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- कोई भी दुकानदार/रेस्टोरेन्ट स्वामी अपनी दुकान अथवा रेस्टोरेन्ट का कूड़ा नाले/नाली में न डाले ऐसे करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही व जुर्माना किया जायेगा।
- समस्त ई–रिक्शा कोट चौराहे से बड़ा बाजार तक मार्केट में प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगें।
- समस्त ठेला, रेहड़ी वाले अपने–अपने ठेले, रेहड़ी, फड़ चौराहे पर नही लगायेगें व बाजारों तथा मार्गों पर नाली से मिलाकर खड़ा करेंगे।
- नगर के मुख्य बाजारों में दुकान, मकान के बाहर सरकारी नाले–नाली पर किसी भी प्रकार की सामग्री रखकर अतिक्रमण नही किया जायेगा अन्यथा सामग्री को जब्त कर लिया जायेगा।
- दो पहिया वाहन चालक के लिये हेलमेट लगाना अनिवार्य है तथा दो पहिया वाहन पर चालक से अतिरिक्त केवल एक सवारी ही बैठायें अन्यथा वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- नगर के समस्त बाहरी मार्गों पर स्थित भवन, दुकान, अस्पताल आदि स्वामी सरकारी नाले–नाली अथवा मार्ग पर किसी भी प्रकार का स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण कर रखा हो तो स्वयं हटवा लें तथा भविष्य में पुनः न करें। पुलिस एवं पालिका द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान में सरकारी नाले/नालियों पर अतिक्रमण करने वालो के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से

प्रभारी निरीक्षक व अधिशासी अधिकारी
कोतवाली अमरोहा नगर — नगर पालिका परिषद अमरोहा